ग्राम पंचायत बहेड़ी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग–एक

1 प्रस्तावनाः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच (5)–सी (15) एलएडी/2006–12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बहेड़ी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः–

प्रधान

क्रम संख्या	प्रधान	अवधि
1	श्रीमती सावित्री देवी	1.4.2014 से 21.1.2016
2	श्रीमती मीना देवी	22.1.2016 से अद्यतन

सचिव

क्रम संख्या	पंचायत सचिव	अवधि
1	श्रीमती प्रेम चन्द	1.4.2014 सं 12.7.2015
2	श्री श्याम लाल	13.7.2015 से 8.4.2016
3	श्री धर्मेन्द्र कुमार	9.4.2016 से अद्यतन

(ग) गम्भीर अनियमितता का सारः–

ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	8 (i)	अनुदान की राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	17.19
2	11	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.66
3	16 (ii)	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	3.06

भाग–दो

2 ग्राम पंचायत बहेड़ी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाये गये है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.6.2017 से 5.7.2017 के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय, बहेड़ी में किया गया। लेखा परीक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 03/15, 04/15 व 09/16 तथा व्यय हेतु माह 11/14, 05/15 व 10/16 का चयन किया गया तथा अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाये गये अभिलेख के अतिरिक्त समस्त वाँछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बहेड़ी के लेखाओं अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक क अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) के अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 72 दिनांक 4.7.2017 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने हेतु अनुरोध कर दिया गया था।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) स्व स्त्रोतों एवं अनुदानः–

(i) ग्राम पंचायत बहेड़ी के स्व स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	346256.53	705449.00	1051705.53	318265	733440.53
2015–16	733440.53	463813.00	1197253.53	417926	779327.53
2016–17	779327.53	4035380.24	4814707.77	2582632	2232075.77

(परिशिष्ट "क")

(ख) वाटरशेडः–

ग्राम पंचायत बहेड़ी के वाटरशेड से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	351801	1079002	1430803	427016	1003787
2015—16	1003787	481974	1485761	1047555.43	438205.57
2016—17	438205.57	449541	887746.57	569823.12	317923.45

(परिशिष्ट "क")

(ग) इन्दिरा आवास योजना (IAY):—

ग्राम पंचायत बहेड़ी के इन्दिरा आवास योजना से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** पर है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	2175	108912	130669	107700	22969
2015—16	22969	101072	124041	75000	49041
2016—17	49041	88204	137245	63015	74230

परिशिष्ट "क"

(घ) मनरेगा:—

ग्राम पंचायत बहेड़ी के मनरेगा से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 की वित्तीय स्थिति यथा **परिशिष्ट "क"** पर है।

वित्त वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014—15	0	218666	218666	218666	0
2015—16	0	197740	197740	197740	0
2016—17	0	542788	542788	542788	0

परिशिष्ट "क"

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना:—

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातो से मिलान करना अनिवार्य था।

अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी को तैयार न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार की जाए। वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.2017 को रोकड़ बही (वित्तीय स्थिति) तथा बैंक खातों के अन्त शेष में निम्नविवरणानुसार ₹120950.14 का अन्तर दर्शाया गया था जिसका उचित समाधान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	**शीर्ष**	**रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.17 को शेष**	**दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों तथा हस्तगत शेष**	**अन्तर**
1	स्व स्त्रोत तथा अनुदान	2232075.77	2306027.77	73952
2	वाटर शेड (IWMP)	317923.45	364921.59	46998.14
3	इन्दिरा आवास योजना (IAY)	74230	74230	0
4	मनरेगा	0	0	0
			कुल योग	**120950.14**

(1) दिनांक 1.4.2014 को आरम्भिक शेषों का विवरण (Audited Trial Balance 2013–14 के अनुसार)

शीर्ष	**बैंक/डाकघर का नाम**	**खाता सं0**	**राशि/शेष**
सामान्य	JCC Bank Nalagarh	101334022000082	293978.15
	-do-	101334022000028	35557.00
	-do-	10133402200134	2521.00
	UCO Bank Ramshehar	11950100003440	1090.00
	JCC Bank Ramshehar	101634001000040	11445.98
	Post Office		5.00
	Un Cashed Cheque		1550.00
-do-	Cash in hand		109.40
		Total	**346256.53**
IWMP-I	UCO Bank Ramshehar	11950100021033	351082
	JCC Bank Ramshehar	101634001001669	674
	-do-	101634001002958	45
	Cash in hand	----	0
		Total	**351801**

IAY	JCC Bank Ramshehrs	10634001000099	21757 (As per Pass Book)
Manrega	UCO Bank Ramshehar	11950100004632	0 (As per Pass Book)

(ii) दिनांक 31.3.17 को अन्तिम शेषों का विवरण

शीर्ष	**बैंक/डाकघर का नाम**	**खाता सं0**	**शेष**
सामान्य	JCC Bank Nalagarh	101334022000082	1479034.82
	-do-	101334022000028	791292.00
	-do-	10133402200134	10891.00
	UCO Bank Ramshehar	11950100003440	1228.00
	JCC Bank Ramshehar	101634001000040	23447.98
	Post Office		5.00
	Cash in hand		128.97
		Total	**2306027.77**
IWMP-I	UCO Bank Ramshehar	11950100021033	297402.59
	JCC Bank Ramshehar	101634001001669	66199.00
	-do-	101634001002958	1320.00
	Cash in hand	----	0.00
		Total	364921.59
IAY	JCC Bank Ramshehrs	10634001000099	74230
Manrega	UCO Bank Ramshehar	11950100004632	0

नोटः– दिनांक 31.3.2017 को अन्तिम शेष पंचायत सहायक द्वारा सत्यापित किया गया है।

6 बैंक तथा डाक घर खातों में दिनांक 31.3.2017 को जमा राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न बैंकों/डाकघरों में जमा राशि से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार डाकघर में ₹5 शेष दर्शाए गया था परन्तु न तो इस खाते की पास बुक न ही सम्बन्धित डाकघर से 31.3.2017 को इस खाते में जमा राशि का प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत किया गया। जिस कारण इस खाते में दिनांक 31.3.2017 को दर्शाए गए शेष की सही होने के पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे

स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बही के रख रखाव से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

(i) रोकड़ बहियों के रख रखाव बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा था। कई माहों के अन्त में नियमानुसार प्रधान द्वारा नियमित रूप से प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे। रोकड़ बही में कई प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया गया था तथा कटिंगस भी की गई थी तथा कई वाउचर्स पर प्रस्ताव संख्या नहीं लिखी गई थी। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7 (1, 2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

(ii) निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा हस्तगत रूप में निम्न विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा रखा गया था, जोकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमिता व आपत्तिजनक है। केवल Imprest की राशि को ही हस्तगत रखा जा सकता है तथा प्रत्येक प्राप्ती को बैंक में जमा किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक भुगतान भी बैंक के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	राशि
18.9.14 से 23.9.15	1159.40
29.10.15 से 11.1.16	2131.40, 2141.40, 2151.40, 1934.40

8 अनुदानः–

(i) निर्धारित अवधि के दौरान विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹17.19 लाख का उपयोग न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित ₹1718655 उपयोग हेतु शेष दर्शाई गई थी। जिससे यह प्रतीत होता है कि अनुदान राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

G.P. Baheri

अतः अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31.3.2017 को जिन अनुदानों की व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उनसे सम्बन्धित राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ii) अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

खण्ड विकास कार्यालय द्वारा समय–2 पर ग्राम पंचायत को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु अनुदान जारी किये जाते है। निश्चित रूप से अनुदान की यह राशियाँ जारी करते समय खण्ड विकास कार्यालय द्वारा कार्यालय आदेश जारी किये जाते होंगे जिनमें जारी की गई राशियों उनके शीर्षों/निर्माण कायों आदि का स्पष्ट विवरण दर्ज होता होगा। परन्तु यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में खण्ड विकास कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों/पत्रों का रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण के दौरान मांगने के उपरान्त भी यह पत्र/दस्तावेज अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके कारण विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु जारी की गई राशियों, उनके शीर्ष तथा निर्माण कार्य जिनके कार्यान्वन हेतु वे जारी की गई थी के सही होने की पुष्टि किया जाना सम्भव नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेख अनुदान रजिस्टर आदि जिसमें विभिन्न अनुदानों के शेषों तथा प्राप्तियों/भुगतानों का शीर्षवार विवरण दर्ज हो अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत भी नहीं किया गया जिस कारण विभिन्न अनुदानों के दिनांक 31.3.2017 को शेष बारे स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त अभिलेख का रख रखाव तथा नियमित रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व की वसूली सम्बन्धी अनियमितताएंः–

(i) राजस्व की मांग एवं प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख का रख–रखाव न करनाः–

ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर की मांग तथा प्राप्ति से सम्बन्धित अभिलेख जिससे इनकी बकाया, प्राप्तियों तथा शेषों से सम्बन्धित स्थिति स्पष्ट हो का रख रखाव नहीं किया जा रहा था। इस कारण दिनांक 1.4.2014 से 31.3.2017 को गृहकर की वसूली हेतु बकाया राशि सम्बन्धी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त कई बार आग्रह के पश्चात भी गृहकर के निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते, नियम 2002 के नियम 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार फार्म 10 पर मांग एवं प्राप्ति अभिलेख पूर्ण करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त गृहकर निर्धारण से सम्बन्धित दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जाए।

(ii) शराब उपकर की वसूली न करनाः–

ग्राम पंचायत को 2015–16 के दौरान शराब उपकर की तथा सम्बन्धित विभाग से प्राप्ति नहीं हुई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा शराब उपकर की वसूली सम्बन्धित विभागों से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों सम्बन्धी अनियमितताएंः–

ग्राम पंचायत द्वारा परिशिष्ट "ग" द्वारा उपलब्ध की गई जानकारी के अवलोकन पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईः–

(i) **(क)** अंकेक्षण के दौरान **परिशिष्ट "ग"** मे वर्णित निम्नलिखित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राक्लन/आंकलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किये गएः–

परिशिष्ट "ग" के अनुसार	निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दर्शाई गई	निर्माण कार्यों की क्रम संख्या जिनके प्राक्कलन नहीं दर्शाए गए।
माह 11/14	क्रम संख्या 1 की	–––
माह 10/16	–––	क्रम संख्या 1 का

उपरोक्त के अतिरिक्त **परिशिष्ट "ग"** में दर्शाए गए निर्माण कार्यों के कार्य आदेश (work orders) भी नहीं दर्शाए गए। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(ख) वाटर शेड (IWMP) के चयनित मासों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों प्रशासनिक/वित्तीय/तकनीकी स्वीकृतियाँ, प्राक्कलन/आकलन तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई। सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) माप पुस्तिकाओं में सामग्री उपयोग विवरणी (Material consumption statement) पूर्ण रूप से नहीं बनाई जा रही थी। माप पुस्तिकाओं में तैयार की गई सामग्री उपयोग विवरणियों में केवल विभिन्न सामग्रियों की खपत दर्शाई जा रही थी। इनमें विभिन्न मदों में निर्माण सामग्रियों की खपत निकालने हेतु खपत तथ्यों (Consumption facts) का विवरण नहीं दिया जा रहा था। अतः भविष्य में सामग्री उपयोग विवरणी (Material Consumption Statement) पूर्ण रूप से तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि निर्माण कार्यों में उपयोग की गई निर्माण सामग्रियों के सही उपयोग की पुष्टि की जा सके।

(iii) इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि माप पुस्तिकाओं में कई निर्माण कार्यों के आरम्भ तथा समाप्ति होने के तिथियों की प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

(iv) ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 95 (1) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा था। ग्राम पंचायत द्वारा न तो Register of technical checks and technical sanctioned estimates का रजिस्टर Form-31 पर तैयार किया जा रहा था न ही estimartes की छाया प्रति Heigher technical authority को submit की जा रही थी जोकि अनियमित है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 क्रय सम्बन्धी अनियमितताएंः—

(i) औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.66 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹366382 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताएं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्वस्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	11/14	21	6300	रेत
			13600	बजरी
			5000	गटका
		22	1995	रेत
			4600	बजरी
			14205	गेट
	10/16	11	95000	बेल्डिंग कार्य हेतु भुगतान

वाटर शेड (IWMP)	11/14	52	10500	रेत
			10800	बजरी
			1560	गटका
		53	4850	शेटरिंग किराया
			24000	ईंटें
			4800	ईंटों का किराया
			2133	पेंट का सामान
	05/15	58	29925	दरवाजे आदि
			19075	रेत
			11400	बजरी
			3120	गटका
			12400	ढुलाई
			31542	स्टील
			3000	शेटरिंग
		62	21117	ईंटें
	10/16	91 से 93	9600	बजरी तथा किराया
			4625	गटका व किराया
			7500	लोहे का गेट
			2010	सीमेंट किराया
			1200	फोटो तथा साईन बोर्ड
			10525	रेत, गटका आदि तथा किराया
		कुल योग	**366382**	

12 भुगतानों के एवज में प्राप्त पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों/व्यय की एवज में पावती प्राप्त की जानी अपेक्षित है। यह प्रतीत होता है कि इन निर्देशों का अनुसरण कड़ाई से नहीं किया जा रहा है क्योंकि व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि क्रय की गई सामग्री तथा अन्य भुगतानों हेतु सम्बन्धित फर्मों/कार्यालय से भुगतान की एवज में पावतियाँ प्राप्त नहीं की गई थी। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नानुसार है। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित पावतियाँ अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए। भविष्य में सभी भुगतानों/व्यय के एवज में पावतियाँ ली जानी सुनिश्चित की जाए।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	11/14	21	6300	रेत
			13600	बजरी
			5000	गटका
		22	1995	रेत
			4600	बजरी
			14205	गेट
वाटर शेड (IWMP)	11/14	52	10500	रेत
			10800	बजरी
			1560	गटका
		53	24000	ईंटें
			2133	पेंट का सामान
	05/15	58	29925	दरवाजे आदि
			19075	रेत
			11400	बजरी
			3120	गटका
			31542	स्टील
		62	21117	ईंटें

13 ग्राम पंचायत द्वारा आबंटित/जारी की गई राशियों के स्वीकृति पत्र तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करनाः–

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को भैंस क्रय हेतु निम्नानुसार ₹130500 जारी की गई थी। परन्तु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा पात्रता सम्बन्धी मानदंड, भैंस क्रय हेतु जारी स्वीकृति पत्र तथा राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत न किये जाने के कारण निम्न दर्शाए गए व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

रोकड़ बही	माह	रोकड़ बही पृ0सं0	राशि (₹)
वाटर शेड (IWMP)	05/15	57	13500
			13500
			12000
			13500
			13500

	13500
	13500
	12000
	13500
	12000
कुल योग	**130500**

(ii) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 10 से 15 (माह 10/16) के अनुसार ₹394200 (84000+72000+192000+24000+10200+12000) जारी की गई थी परन्तु ऐसा कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे निर्माण किये गये शौचालयों की पुष्टि की जा सके तथा न ही सचिव ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया गया था उपरोक्त के अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान जो राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये उन पर न तो सम्बन्धित Ext. officer तथा न ही Technical Assistant के हस्ताक्षर थे जिस कारण निर्मित शौचालयों की गुणवता सही थी इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

(iii) इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकरणों में शौचालय हेतु जारी की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र/वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

माह	**रोकड़ बही**	**पृ0सं0**	**प्रार्थी का नाम**	**अनुदान की राशि (₹)**	**टिप्पणी**
10/16	सामान्य	12	श्री राम आसरा	12000	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया
		13	श्रीमती सरजू देवी	12000	–यथोपरि–
		15	श्री हेम राज	12000	–यथोपरि–

14 ₹200 का अधिक भुगतान करनाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार ₹200 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹200 की वसूली उपयुक्त स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**किया गया भुगतान**	**जितना भुगतान बनता था**	**अधिक भुगतान**	**टिप्पणी/विवरण**
IWMP	10/16	93	10525	10325	200	वाउचर सं0 24
			कुल योग		**200**	

G.P. Baheri

15 ₹0.39 लाख की खेलकूद सामग्री के क्रय से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत को खेलकूद अनुदान के अन्तर्गत ₹39000 प्राप्त हुई है। ग्राम पंचायत ने इस राशि से माह 11/14 (रोकड़ बही स्वस्त्रोत तथा अनुदान, पृष्ठ संख्या 23) में City Sales, Shimla से ₹39000 की खेलकूद की सामग्री क्रय की थी। पंचायत के अनुसार यह सामग्री दर संविदा (Rate Contract) के आधार पर की थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान नियन्त्रक, भण्डार हिमाचल प्रदेश द्वारा City Sales, Shimla के पक्ष में जारी दर संविदा के आधार पर खेलकूद सामग्री के विक्रय के लिए अधिकृत किये जाने से सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित उपरोक्त दस्तावेज आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाये ताकि क्रय किये गये सामान की जाँच तदानुसार की जा सके।

16 स्टोर/स्टॉकः–

(i) प्रत्यक्ष सत्यापन न करवानाः–

हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) स्थाई एवं अस्थाई ₹3.06 लाख के क्रय भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की प्राप्ति तथा जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ स्टॉक सामग्री रजिस्टर में नहीं की गई थी निम्न प्रकरण केवल चयनित मासों से सम्बन्धित है तथा अन्य मासों में भी इस प्रकार की अनियमितताऐं की गई हो इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः इस बारे स्थिति करने के साथ–2 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाएं।

रोकड़ बही	माह	पृ0सं0	राशि (₹)	क्रय की गई वस्तु/ली गई सेवा का विवरण
सामान्य (स्व स्त्रोत तथा विभिन्न अनुदान)	11/14	23	39000	खेलकूद का सामान

	10/16	11	95000	बेल्डिंग
वाटर शेड (IWMP)	11/14	52	10500	रेत
			10800	बजरी
			1560	गटका
		53	24000	इंटें
			2133	पेंट का सामान
	05/15	58	19075	रेत
			11400	बजरी
मनरेगा			3120	गटका
			31542	स्टील
			3000	शेटरिंग
		59	710	स्टेशनरी
		62	21117	इंटें
	10/16	91 से 93	9600	बजरी तथा किराया
			4625	गटका तथा किराया
			7500	लोंहे का गेट
			1200	फोटों तथा साईन बोर्ड
			10525	रेत, गटका आदि तथा किराया
		कुल योग	**306407**	

(iii) स्टॉक सामग्री के रख रखाव बारेः–

स्टॉक सामग्री रजिस्टर (प्रारूप–6) में सीमेंट की प्राप्तियों तथा निर्माण कार्यों को जारी करने सम्बन्धी कई प्रविष्टियों (पृष्ठ संख्या 44 तथा 45) में कटिंग्स की गई थी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। भविष्य में इसकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

17 विविधः–

(i) रसीद बुक के इस्तेमाल से सम्बन्धित अनियमितताओं बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद बुक्स पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था। रसीद बुकों का प्रयोग भी क्रमानुसार नहीं किया जा रहा था। एक

समय में एक से अधिक रसीद बुकों का प्रयोग किया जा रहा था। रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर में सभी स्तम्भों में पूर्ण विवरण नहीं भरा जा रहा था तथा रसीद बुकस के शेषों सम्बन्धी स्थिति भी स्पष्ट नहीं होती थी। रजिस्टर में पृष्ठ संख्या भी अंकित नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्रवाई करके तथा रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

(ii) सावधि निवेशः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। लेकिन यह प्रतीत होता हो कि इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

(iii) बिल पारित करने सम्बन्धी निर्देशों का पालन न करनाः–

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि ग्राम पचांयत निधि से किये जा रहे अधिकतम भुगतानों को केवल प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया गया था जोकि अनियमित है। कुछ भुगतानों का तो प्रधान द्वारा भी सत्यापन नहीं किया गया था जोकि निम्न तालिका में दर्शाए गए कुछ प्रकरणों से स्पष्ट हो जाता है। पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंकों दोनों में देय रकम को इसमें लिखते हुए संयुक्त रूप हस्ताक्षरित न किया गया हो। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए साथ में निम्नलिखित प्रकरणों बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 अपेक्षित कार्यवाही भी की जाए।

रोकड़ बही	**माह**	**पृ0सं0**	**राशि**	**विवरण**
सामान्य	11 / 14	22	12150	वेतन कीमैन
			12150	यथोपरि
		23	2000	वेतन सिलाई अध्यापिका

05/15	43	6750	वेतन
		6750	–यथोपरि–
	44	8000	वेतन सिलाई अध्यापिका

(iv) मस्टर रोल्स सम्बन्धी अनियमितताओं बारेः–

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अधिकतम प्रकरणों में निर्माण समिति/Village monitoring committee (vmc) द्वारा मस्टर रोल्स पर निर्माण कार्यों के ठीक से होने बारे सत्यापन नहीं किया गया था। मस्टर रोल्स का Part III जिसमें भुगतान से पूर्व निर्माण कार्य की पैमाइश/अन्य विवरण भरा जाना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है यह नहीं किया जा रहा था। मस्टर रोल्स रजिस्टर में आवश्यक सम्पूर्ण विवरण भी नहीं भरा गया था। मस्टर रोल रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि कई मस्टर रोल्स क्रमवार जारी नहीं किये गए थे। अतः इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इनकी पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

(v) बजट आंकलन (Budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 की में दिये गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नहीं किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014–15, 2015–16 व 2016–17 से सम्बन्धित बजट आंकलन निर्धारित समय (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवाया गया था। साथ ही बजट निर्धारित फार्म 11 पर नहीं बनाए गए थे। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट आंकलन निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार/पारित करवाया जाना तथा विहित फार्म "11" पर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) विहित रजिस्टरों के रख रखाव बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान स्टेशनरी रजिस्टर (फार्म–28) miscellaneous demand and collection register (फार्म–10) अस्थाई अग्रिम रजिस्टर (फार्म–9) register of bills received (फार्म–13) Stock Register of non consumable articles (फार्म–25) Stock Register of consumable articles than stationary and printed material (फार्म–26) माप पुस्तिका रजिस्टर आदि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं कियें गये जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नहीं किया जा रहा है। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

G.P. Baheri

भविष्य में उपरोक्त नियमानुसार/निर्देशानुसार रजिस्टरों का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनको पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

18 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** अलग से जारी नहीं की गई।

19 **निष्कर्षः–** खातों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(4) 30/2017–खण्ड–1–7251–7254 दिनाँक 20.12. 2017शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बहेड़ी विकास खण्ड नालागढ़ तहसील नालागढ़ जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0–0177 2620881